समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग)

RHYTHM ACADEMY
SMILES FOR HUMANITY
"Giving a Gift of Smile"

रिदम अकादमी,

मो० रामेदी तारुस- वार्ड न० -2
पंजाब नेशनल बैंक के सामने, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।

एवं

छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय

कानपुर, उत्तर प्रदेश

रिदम अकादमी, मो० रामेदी तारुस- वार्ड न० -2, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश एवं छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश दिनाँक <u>27.05.2023</u> को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, जो इस प्रकार है:

प्रस्तावना:

इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य संगीत नृत्य गायन, सामाजिक कार्य, भाषा, साहित्य-दर्शन, और लोक कला को लेकर अध्ययन, शोध, प्रदर्शन और संकलन के साथ ही विद्यार्थियों, प्रोफेसर, शिक्षक, संस्थान कर्मियों को प्रचुर अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही परस्पर बहुआयामी सहयोग आदान-प्रदान करना है।

रिदम अकादमी -

युवाओ और विषय विशषज्ञों के ज्ञान, अनुभव और विचार को जन जन से जोड़ने और विभिन्न गतिविधियों के व्यापक विस्तार के लिए समाज के पिछड़े एवं निचले दर्जे तक कला के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण एवं अनुभव कराना है।

अनुच्छेद 2: सहयोग के क्षेत्र

2.1 दोनों पक्ष संयुक्त रूप से और अलग-अलग पक्ष के तौर पर निम्न बिन्दुओं पर सहमत होंगे:-

- यह कि परस्पर दोनो पक्ष मिलकर, डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट/ वोकेशनल वोकेशनल कोर्स सहित अनेक प्रकार के एकेडमिक एवं रिफ्रेशर कोर्सेज का संचालन करेंगे।
- यह कि परस्पर दोनो पक्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधताओं के साथ ही स्थानीय बोलियों सहित अवधी, बघेली, बुन्देली, पूर्वान्चली, भोजपुरी सरीखी बोलियों के प्रचार प्रसार सहित भाषा विशेष पाठ्यक्रमों से युवा प्रशिक्षुओं को परिचित करवाया जाएगा।
- यह कि परस्पर गतिविधियों के माध्यम से विश्व, देश, प्रदेश और समाज में समरसता, एकता, अखंडता और नैतिकता का संरक्षण और संवर्धन करेंगे।
- यह कि दोनों पक्ष संगठन के तौर पर संयुक्त रूप से प्रदेश, देश और विश्व में भावनात्मक संबंध स्थापित करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।
- यह कि सांस्कृतिक मूल्यों, रीति-रिवाजों, परंपराओं, बहुमूल्य धरोहरों के प्रति एक-दूसरे के संस्थानों, परिसरों, पदाधिकारियों के मध्य समझ और संवर्धन के लिए कार्य करेंगे।
- यह कि परस्पर दूरगामी और परिणामोन्मुख संबंधों का निर्वहन करेंगे।
- यह कि शोध, प्रदर्शन, शिक्षण, प्रकाशन के लिए दोनों पक्ष परस्पर वातावरण का निर्माण करेंगे, गतिविधियों और कौशल के साथ ही समय-समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों सेमिनार, संगोष्ठी, परिचर्चा, उत्सव, अन्यानेक गतिविधियों में अपेक्षित भागीदारी और सहभागिता का आदान-प्रदान करेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) दोनों ही पक्षों के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति पर केन्द्रित है।

दोनों पक्षों का लक्ष्य शिक्षा प्रसार, व्यापक जन जागरुकता, क्षमता संवर्धन और युवाओं का प्रोत्साहन करते हुए श्रेष्ठ, मानवीय, संवेदनशील, दायित्वबोध से पोषित नागरिकों को तैयार करना है।

अनुच्छेद 2.2: ज्ञापन समझौते के अंतर्गत गतिविधियाँ:

- संगीत गायन वादन नृत्य, सामाजिक कार्य, भाषा, साहित्य-दर्शन, और लोक-कला को लेकर अध्ययन, शोध, प्रदर्शन और संकलन के साथ ही विद्यार्थियों शोधार्थियों, प्रोफेसर, शिक्षक, विश्वविद्यालय कर्मियों को प्रचुर अवसर उपलब्ध करवाया जायेगा।
- साहित्य, पाण्डुलिपियों, ग्रन्थों, मौखिक ज्ञान (Oral tradition) आदि का संग्रह तथा डिजीटाईजेशन, इन पर आधारित राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध, सर्वेक्षण व ऐसी गतिविधियों के संचालन, प्रकाशन और प्रसारण में परस्पर आदान-प्रदान और सहयोग।
- महापुरुषों, विद्वानों, अन्यानेक विभूतियों के जीवन दर्शन पर आधारित ललित कला की सभी विधाओं के संचालन को प्रोत्साहन, रचनाकार शिविर, कला मेला, सांस्कृतिक

कार्यक्रम, रचनाकारों का परस्पर प्रोत्साहन हेतु शिविरों का आयोजन और अन्य आदान-प्रदान।

- समाजहित, देशहित, जनहित एवं मानव कल्याण हेतु प्रदेश, देश और विदेश में विशेष आयोजनों के संचालन में परस्पर आमंत्रण और सहयोग।
- नई पीढ़ी में दर्शन, साहित्य, विज्ञान और ललित कलाओं को प्रचारित करने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताओं, प्रदर्शन समेत विशेष कार्य योजनाओं का संचालन व वीडियो फिल्में, ऑडियो आदि बनाकर स्कूलों में वितरण और यथोचित प्रसारण के लिए परस्पर सहयोग और आदान-प्रदान।
- प्रदेश की सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक और वैधानिक कृतियों, शोध संदर्भों, प्रकाशनों, पाण्डुलिपियों के संग्रह में परस्पर सहयोग और आदान-प्रदान।
- समान उद्देश्यों हेतु स्थापित केन्द्र और राज्य सरकारों की संस्थाओं, इकाईयों से आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का परस्पर क्रियान्वयन।
- संस्थान के द्वारा स्थापित केन्द्रों के साथ मिलकर सांस्कृतिक और अन्य उद्देश्य पूर्ण गतिविधियों में परस्पर भागीदारी।
- लोक विधाओं के गायन, वादन एवं नृत्य शैलियों के लिए उत्तर प्रदेश के कलाकारों को आयोजनों में मंच प्रदान करना।
- रेडियो संचालन से सम्बंधित प्रशिक्षण तथा संस्कृति विभाग में इंटर्नशिप व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

अनुच्छेद 3: वित्तीय व्यवस्था

3.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

3.2 इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में प्रत्येक पक्ष अपनी लागत और खर्च वहन करेगा।

3.3 ऊपर उल्लिखित किसी भी गतिविधि में, जहां कहीं भी वित्तीय खर्च शामिल हों, गतिविधि शुरू करने से पहले राशि, भुगतान की शर्तें आदि स्पष्ट रूप से बताई जाएंगी।

3.4 यदि भविष्य में बाहरी रूप से वित्त पोषित संयुक्त परियोजनाओं के तहत उपरोक्त गतिविधियाँ की जाती हैं, व्यय को सहयोगियों द्वारा वित्त पोषण अनुपात के आधार पर साझा किया जाएगा।

अनुच्छेद 4: समझौता ज्ञापन की प्रभावी तिथि और अवधि

यह समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) दोनों ही पक्षों के मध्य आपसी सहमति से किया जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की तीन वर्षों की अवधि तक वैध रहेगा।

अनुच्छेद 5: बौद्धिक संपदा अधिकार

दोनों संस्थाएँ संयुक्त अवसरों पर प्रिंट और प्रकाशन में दोनों पक्षों के संगठनों के लोगो और प्रतीक चिह्नों का प्रयोग करेंगी। एक-दूसरे को बराबर श्रेय देंगी और उसका प्रत्येक प्रकार से प्रदर्शन करेंगी। संयुक्त और परिगामी गतिविधियों के फोटो और वीडियो के साथ समस्त सूचनाएं एक दूसरे के साथ बाटेंगी। मीडिया में संयुक्त दोनों पक्ष एक-दूसरे को प्रस्तुत करेंगी।

अनुच्छेद 6: प्रकाशन

दोनों संगठनों के विशेषज्ञ /संकाय और विद्वान/ सदस्य संयुक्त रूप से प्रकाशनों पर काम कर सकते हैं। रॉयल्टी/ बौद्धिक संपदा अधिकार, यदि कोई हों, तो एक अलग विशिष्ट समझौते के माध्यम से संस्थाओ के बीच परस्पर सहमत शर्तों पर संयुक्त रूप से साझा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7: अधिकार हस्तांतरण

दोनों संगठनों के बीच अधिकारों का कोई भी हस्तांतरण पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर और यदि आवश्यक हो तो एक अलग समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 8: गोपनीयता

समझौता ज्ञापन के कार्यकाल के दौरान और उसके बाद जब तक दोनों संस्थाएँ प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देती, दोनों संस्थाएँ सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगी और इस समझौता ज्ञापन के तहत कवर की गई परियोजनाओं के दायरे के तहत आदान-प्रदान की गई सभी सूचनाओं और डेटा के प्रकटीकरण को रोकेंगी।

अनुच्छेद 9: संशोधन

दोनों ही संस्थाएँ समय, काल, परिस्थितियों के अनुरुप इस समझौता ज्ञापन में आवश्यक विषय, बिन्दु, कार्यक्रम को अलग से संलग्नक पत्र (एनेक्जर) के माध्यम से इसमें दस्तावेज संख्या के साथ संलग्नक के क्रमांक का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों के नोडल अधिकारियों की आपसी सहमति और इसकी अनुमति सम्यक उपलब्ध प्राधिकारी से लेकर ही कर सकेंगी।

अनुच्छेद 10: अप्रत्याशित घटना

सरकार के किसी भी कृत्य के कारण या संस्थाओ के उचित नियंत्रण से बाहर किसी भी परिस्थिति के कारण इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधियों को करने में किसी भी देरी या गतिविधियों को पूरा करने में विफलता के संबंध में दोनों पक्षों का कोई दायित्व नहीं होगा।

अनुच्छेद 11: विवाद समाधान

इस समझौता ज्ञापन की वैधता, दायरे, अर्थ व्याख्या या प्रभाव या इस ज्ञापन से संबंधित किसी भी मामले के लिए संस्थाओ के बीच किसी भी विवाद या मतभेद, कानपुर विश्वविद्यालय एवं रिदम अकादमी के अधिकृत प्रतिनिधि संयुक्त रूप से हल करेंगे। किसी भी विवाद के मामले में जिसे आपसी चर्चा से नहीं सुलझाया जा सकता है, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 12: निरस्तीकरण

इस समझौते में आपसी सहमति के आधार पर नए कार्यकलापों और नियमों को जोड़ा जा सकेगा। सहमति के आधार पर ही समझौता ज्ञापन के दौरान किसी भी समय, दो माह की नोटिस के बाद ही, समझौता ज्ञापन को समाप्त किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 13: समन्वयक

गतिविधियों के उपक्रम के लिए दोनों पक्षों के मध्य नोडल अधिकारियों/प्रतिनिधियों के दायित्व निर्धारण की सूचना दी जायेगी एवं संबंधित के माध्यम से दोनो ही पक्ष नियमित रुप से सम्भावित

गतिविधियों के लिए परस्पर यथोचित सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। रिदम अकादमी (डॉ० श्रेया) एवं प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी प्रति कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय की ओर से -

अनुच्छेद 15: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

हस्ताक्षर एवं मुहर	**हस्ताक्षर एवं मुहर**
डॉ. श्रेया निदेशक रिदम अकादमी, हमीरपुर	**प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी** प्रति कुलपति छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

गवाहः

डॉ० दुर्गेश पाठक
समन्वयक
रेडियो जयघोष
संस्कृति विभाग
उत्तर प्रदेश

गवाहः

डॉ० ऋचा मिश्रा
सहायक आचार्य
संगीत विभाग
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर